स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चाहूंगा कि प्राय: यहां की लगभग 25 लाख की जनसंख्या के 90 प्रतिशत निवासी गरीब, कमजोर तथा हरिजन पिछड़े वर्ग के लोग हैं।

प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने 1959, 1961 तथा 1962 में यहां दौरा किया। वे यहां के आम इन्सान की स्थिति देखकर काफी प्रभावित हुए। पटेल आयोग के द्वारा यहां के विकास की रूप रेखा बनी पर बाद में समस्त विकासशील योजनाएं भी बन्द हो गई।

पिछले दिनों भयानक बाढ़ का भी यहां प्रकोप रहा। एक हजार से अधिक मकान ढह गए। कई हजार एकड़ फसल जल प्लावित हो गई। दो दर्जन व्यक्ति मर गए। अनगिनत पशु बह गए।

यहां कोई निजी तथा राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है जब कि यहां कागज और गत्ता का बड़ा कारखाना लगाया जा सकता है। डेरी तथा शराब, चीनी उद्योग लगाकर जीवन बदला जा सकता है। अभी ऊर्जा मंत्री भारत सरकार को 9 संसद सदस्यों की ओर से एक खाद का कारखाना लगाने के लिए मैंने ज्ञापन दिया था।

इस क्षेत्र में नरकटियागंज नामक स्थान पर एक छोटी सी चीनी मिल है। इस चीनी मिल के निर्माण के समय यहां के गरीबों का हौसला बुलन्द हुआ। लोगों में नई आशाएं जगीं। गरीब किसान अपनी हजारों एकड़ जमीन देकर भी खुश था। अधिकारियों ने, उद्योग मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि इस चीनी मिल में सैकड़ों लोगों को काम मिलेगा। पर बाद में कोई पूछ नहीं हुई उल्टा गरीब किसान भूमिहीन हो गया। क्षेत्र में बेकारी भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं। सबके सामने निराशा है। अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है।

मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान संसदीय क्षेत्र सैदपुर की ओर ले जाते हुए जोरदार शब्दों में मांग करूंगा कि इस क्षेत्र में 20 लाख गरीब मजदूरों, किसानों की दयनीय जिन्दगी को देखें और कोई बड़ा उद्योग लगाने पर विचार करें। खाद का कारखाना, कागज का बड़ा कारखाना लगाकर पंडित नेहरू तथा पटेल आयोग की भावनाओं का आदर कर निरीह गरीबों की रक्षा की जा सकती है।

(viii) PENSION FOR FREEDOM-FIGHTERS

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पैंशन के बारे में दिलाना चाहता हूं। पिछले सत्र में गृह मंत्री ने यह बयान सदन में दिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों की पैंशन 200 रु० प्रति माह से बढ़ा कर 300 रु० प्रति माह की जा रही है। उसी प्रकार उनकी विधवाओं को पैंशन 100 रु० प्रतिमाह से बढ़ा कर 200 रु० प्रतिमाह की जा रही है। किन्तु यह खेद की बात है कि सरकार के इस बयान पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है। विशेष कर दिल्ली में दिल्ली प्रशासन इस दिशा में सोया पड़ी है। उसका कहना है कि गृह मंत्रालय से इस दिशा में कोई आदेश नहीं आया है। जब राजधानी में यह हाल है तो देश के अन्य भागों में क्या होगा? इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। मंत्री सदन में कहते बहुत कुछ है, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं हो पाता। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इस समय अपने

[श्री राम विलास पासवान]

जीवन के अंतिम चरण में हैं और अपनी पेंशन के लिए विभिन्न विभागों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां उन्हें दो टूक जवाब देकर टाल दिया जाता है। उनका पैसा एवं समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यह कार्य स्वयं सरकार का है कि ऐसे देशभक्तों को अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त कराये। बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों को फार्म भरने से लेकर पेंशन लेने तक घूस देना पड़ता है अन्यथा उनके पेंशन को रोक दिया जाता है। गरीब हरिजन स्वतन्त्रता सेनानी तो पैसा नहीं देने के कारण काफी संख्या में आवेदन देने से वंचित रह गए हैं। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण है, जिनके आवेदन पत्र गृह मंत्रालय में लंबित पड़े हैं और उन पर अमल नहीं हो पाया है। कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन रोक दी गई थी। उनको फिर से देने में भी देर हो रही है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसे बहुत से उदाहरण है।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार ऐसा आदेश दे, जिससे स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली सुविधा प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हो।

(ix) Inadequate Supply of Wheat to Rajasthan Through the Public Distribution System

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। राज्य में उक्त प्रणाली के अंतर्गत शक्कर और गेहूं मिलता है और दूसरा कोई जीवनोपयोगी सामान नहीं मिलता।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के गेहूं के कोटा को जो प्रति माह 40 हजार मीट्रिक टन मिलता था, को 6 हजार मीट्रिक टन के घटाने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानों में गेहूं मिलना करीब बन्द हो गया है, जिसके कारण जनता को खुले बाजार में 180 से 200 रु० प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं क्रय करना पड़ रहा है, जिसके कारण जनता में असंतोष है।

राज्य के 33305 गांवों में से 19000 गांवों में अकाल है। जिन ग्रामों में अकाल राहत कार्य चलते हैं, वहां सस्ते अनाज की दुकानें न होने से उन मजदूरों को खुले बाजार में बड़े मंहगे भाव से अनाज खरीदना पड़ रहा है। वे खरीदने की स्थिति में नहीं है। अत: उनमें भी तीव्र असंतोष है।

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का है।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि राज्य की सूखे की स्थिति को देखते हुए और तीव्र मंहगाई को देखते हुए राज्य में सस्ते अनाज की दुकानें सभी शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आवश्यकता के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 8 किलो गेहूं मिले को आधार रखते हुए खोली जावें और उसके अनुसार ही केन्द्र द्वारा राज्य को गेहूं का कोटा प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।

(x) Registeration of Small Scale Industries Manufacturing Insecticides

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : I wish to bring to the notice of this hon. House and government the following urgent matter under Rule 377 for immediate action.

The Insecticides Act was promulgated in 1971 with the main objective of preventing the risk to human beings and animals.